1

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 20/ 2019 दायर तारीख :– 19.03.2017

1. रामस्वरूप पुत्र रामू जाति अहीर नि० रामपुरा तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर राज०

वादी

बनाम

1. छोटू पुत्र रामू
2. रामनिवास पुत्र हनुमान
3. लक्ष्मण पुत्र रामू
4. बदरी पुत्र रामू
5. सीताराम पुत्र हनुमान
6. रामजीवन पुत्र हनुमान
7. रामकरण पुत्र हनुमान

समस्त जाति अहीर नि० रामपुरा तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर राज०

8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैंसावा जरिये प्रबन्धक
9. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा रायथल जरिये प्रबन्धक
10. दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि० जयपुर जरिये प्रबन्धक
11. तहसीलदार तहसील कि०रेनवाल जिला जयपुर राज०

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री झाबरमल चौधरी प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 3/7/2019

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7 की संयुक्त कब्जें काश्त की खातेदारी आराजी ख०नं० 121/2 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, ख०नं० 135 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, ख०नं० 136 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख०नं० 137/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख०नं० 137/2 रकबा 1 बिस्वा, ख०नं० 138 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, ख०नं० 139 रकबा 1 बिस्वा, ख०नं० 140/1 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, ख०नं० 140/2 रकबा 1 बिस्वा किता 9 कुल रकबा 53 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम रामपुरा प०ह० डूंगरीखुर्द तह० कि०रेनवाल जिला जयपुर राज० में स्थित है। जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 का 1/8 हिस्सा है इसी प्रकार वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7 अपने अपने हिस्सों का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में पक्षकारान का हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। विवादित आराजीयात अविभाजित है जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है किन्तु वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7 ने आपसी पारस्परिक सहमति से भूमि का मौके के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन कर रखा है। जिस पर मौके पर काबिज काश्त है ओर इसी प्रकार भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से पर पुख्ता खाम मकान भी बना रखे है जिसमें वे मय परिवार के निवास करते आ रहे है उक्त भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने से भूमि को उन्नत व विकसित करने में भारी परेशानी होती है जिसके लिए वादी ने प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 7 को कई बार विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा किन्तु हर बार कोई ना कोई बहाने बाजी करते हुये टालमटोल करते आये है ओर विभाजन करवाने को आश्वासन करते रहे है। आजकल जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7 की नियत में फितुर उत्पन्न हो रखा है जिसके कारण वे मनचाही जगह वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करके भूमि का बेचान करना चाहते है इसी आशय से प्रतिवादी सं० 1 लगा० 7 दिनांक 06.02.19 को वादी के हिस्सें की भूमि पर मनचाही जगह कब्जा करने पर आमादा हुये जिस पर वादी ने उनको मौके के कब्जें काश्त के अनुसार विधिक रूप

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

से वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन करवाने को कहा तब प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा बिना विभाजन करवाये ही मनचाही जगह से भूमि पर कब्जा करेंगे एवं तुम्हें बेदखल करेंगे तथा आराजी के वर्तमान स्वरूप को परिवर्तन कर देंगे। इस प्रकार की धमकी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के द्वारा दिये जाने वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की ओर से वकील श्री झाबरमल चौधरी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 9 की ओर से वकील श्री निशान्त शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है।
4. प्रकरण दिनांक 12.06.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार कि0रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील पक्षकारान की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादी का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम रामपुरा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	छोटू पुत्र रामू जाति अहीर सा0देह0 राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा	121/3 रकबा 9 विस्वा 121/16 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा 135/5 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 4 विस्वा
2	रामस्वरूप पुत्र रामू जाति अहीर सा0देह0 राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा	121/5 रकबा 11 विस्वा 121/12 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा 121/13 रकबा 19 विस्वा 121/20 रकबा 11 विस्वा 138/4 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 4 विस्वा
3	लक्ष्मण पुत्र रामू जाति अहीर सा0देह0 राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा	121/4 रकबा 10 विस्वा 121/15 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा 138/2 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा 140/4 रकबा 6 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 4 विस्वा
4	छोटू, रामस्वरूप, लक्ष्मण पि0 रामू जाति अहीर सा0देह0 राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा	121/19 रकबा 15 विस्वा
5	रामनिवास पुत्र हनुमान राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा जाति अहीर सा0देह0	121/10 रकबा 8 विस्वा 135/4 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा 136/2 रकबा 16 विस्वा

सहायक कलेक्टर सांभर लेक

Scanned by CamScanner

		140/2 रकबा 1 विस्वा 140/5 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा
6	बदरी पुत्र रामू जाति अहीर सा0देह0 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा रायथल	121/2 रकबा 8 विस्वा 137/1 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा 137/2 रकबा 1 विस्वा 140/1 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा
7	सीताराम पुत्र हनुमान जाति अहीर सा0देह0 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा रायथल	121/9 रकबा 8 विस्वा 135/1 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा 139 रकबा 1 विस्वा 140/6 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा
8	रामजीवण पुत्र हनुमान राहिन दी जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक जाति अहीर सा0देह0	121/8 रकबा 8 विस्वा 121/17 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा 136/1 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा 137/3 रकबा 1 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा
9	रामकरण पुत्र हनुमान जाति अहीर सा0देह0	121/7 रकबा 8 विस्वा 121/11 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा 121/14 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा 121/18 रकबा 10 विस्वा 137/4 रकबा 10 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा
10	छोटू, रामस्वरूप, लक्ष्मण पि0 रामू हि0 3/8 रामनिवास पुत्र हनुमान हि0 1/8 राहिन एसबीआई शाखा भैंसावा, बदरी पुत्र रामू हि0 1/8, सीताराम पुत्र हनुमान हि0 1/8 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा रायथल, रामजीवण पुत्र हनुमान हि0 1/8 राहिन दी जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक रामकरण पुत्र हनुमान हि0 1/8 जाति अहीर सा0देह	121/6 रकबा 14 विस्वा 135/2 रकबा 1 विस्वा 135/3 रकबा 5 विस्वा 137/5 रकबा 4 विस्वा 138/1 रकबा 3 विस्वा 138/3 रकबा 2 विस्वा 140/3 रकबा 5 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 1 बीघा 14 विस्वा

तहसीलदार कि0रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 3/7/2019 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश कुमार मूंड)
सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Scanned by CamScanner